# कार्यालय– जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह (म.प्र.)

जावक क्र. ......./विविध/विक्रय समिति/18 दमोह, दिनांक–17.07.20

## –: घोष विक्रय विज्ञप्ति :–

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, जिला एवं सत्र न्यायालय दमोह के मालखाने में रखी लोहे की सामग्री कुल्हाड़ी, फरसा, चाकू कटार, बका, खखरी आदि कुल 41 कि.ग्रा. तथा लाठी, डंडे 118 नग, जिस स्थिति में हैं, जहां पर हैं, दिनांक 27.07.20 को दोपहर 2:00 बजे घोष विक्रय (नीलामी) की जानी है, उक्त लोहे की सामग्री की बेस प्राइज 18/–रूपये प्रति कि.ग्र. के हिसाब से कुल 41 कि.ग्रा. की 738/–रूपये तथा डंडो की बेस प्राइज 100/–रूपये नियत की गई है। जिस किसी भी व्यक्ति को उक्त घोष विक्रय में उपस्थित होना हो, वह निम्नलिखित शर्तों के अधीन घोष विक्रय में भाग ले सकता है :–

**शर्तें :–**

1. नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक बोलीदार को नीलामी के पूर्व 200/–रूपये अमानत राशि के रूप में नगद जमा करने होंगे, नीलामी कार्यवाही समाप्त होने के पश्चात सफल बोलीदार को छोड़कर शेष की जमा उसी दिन वापिस की जायेगी।
2. नीलामी समाप्त होने पर अंतिम बोली लगाने वाले व्यक्ति को बोली की राशि तत्काल जमा करनी होगी तथा नीलामी की अनुमोदन पश्चात एक दो दिवस के भीतर नजारत शाखा में जमा कर सामग्री उठानी होगी।
3. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह को किसी बोली अथवा संपूर्ण नीलामी को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार होगा।
4. घोष विक्रय के संबंध में किसी भी बिंदू पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह का होगा, जो सर्वमान्य होगा।
5. बोली स्वीकृत होने के पश्चात उक्त संबंध में उठाई गई किसी भी आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
6. खरीददार स्वयं अपने व्यय पर सामग्री को उठायेगा, इस हेतु कार्यालय द्वारा कोई व्यय वहन नहीं किया जायेगा।
7. उपरोक्त सामग्री जिला एवं सत्र न्यायालय, भवर परिसर, दमोह में रखी है, इच्छुक क्रेता नीलामी के पूर्व दिनांक 22.07.20 से लेकर 25.07.20 तक किसी भी कार्य दिवस में उक्त सामग्री का अवलोकन कर सकते हैं। इस हेतु न्यायालय में पदस्थ नाजिर श्री गनेश सींग से व्यक्तिगत तौर पर और उनके मोबाइल नम्बर 9752340185 पर संपर्क किया जा सकेगा।

दिनांक–17.07.2020

अध्यक्ष<br>
नीलामी समिति<br>
जिला एवं सत्र न्यायालय दमोह